मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ.बी. 25/20/94/पीडब्ल्यूसी/चार   भोपाल, दिनांक 8 -8-1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:--पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण.

राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कुछ पेंशन प्रकरणों में विलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि वेतन निर्धारण पहले नहीं किया गया और पेंशन प्रकरण के साथ ही वेतन निर्धारण भी किया जाता है. वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का काफी सरलीकरण कर दिया गया है लेकिन कार्यालय प्रमुख से पूरी जानकारी उपलब्ध न होने के कारण वेतन निर्धारण का प्रकरण अक्सर अटक जाता है.

2. इस समस्या को दूर करने के लिये राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अगर पेंशन प्रकरण के साथ ही वेतन निर्धारण प्रकरण प्राप्त होता है तो वेतन निर्धारण के प्रकरण को आपत्ति लगाकर कार्यालय प्रमुख को न लौटाया जाए. अगर पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है तो प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा संभागीय कमिश्नर को प्रस्तुत किया जाएगा. संभागीय कमिश्नर द्वारा संबंधित कार्यालय प्रमुख और/या संभागीय स्तर के अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाया जाएगा और वेतन निर्धारण प्रकरण में आदेश पारित किये जाएंगे. संभागीय कमिश्नर द्वारा पारित आदेश प्रत्यायोजन भी किया जा चुका है. अगर कोई ऐसा मसला सामने आता है जिसमें प्रत्यायोजन नहीं हुआ है और राज्य शासन के आदेशों की जरूरत है तो ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय संभागीय कमिश्नर द्वारा लिया जाएगा. दूसरे शब्दों में इस आदेश द्वारा पेंशन प्रकरणों के अंतिम निराकरण के लिए Residuary powers संभागीय कमिश्नर को प्रत्यायोजित किये जा रहे हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्र. एफ.बी. 25/20/94/पीडब्ल्यूसी/चार   भोपाल, दिनांक 8-8-1995

प्रतिलिपि:--

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.

---

9. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय, 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
10. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय, 85/16, तुलसी नगर, भोपाल.
11. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय, 12/5, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
12. प्रमुख महामंत्री, मध्यप्रदेश. शिक्षक कांग्रेस; कार्यालय, 6/45 बंगले, नार्थ, टी. टी. नगर, भोपाल.
13. महामंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ, टी. टी. नगर, भोपाल.
14. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
15. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल.
16. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर, भोपाल.
18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
(के. एन. पन्त)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.